79

न्यायालय श्रीमान् समक्ष अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ~~ग्वालियर~~ रीवा (म.प्र.)

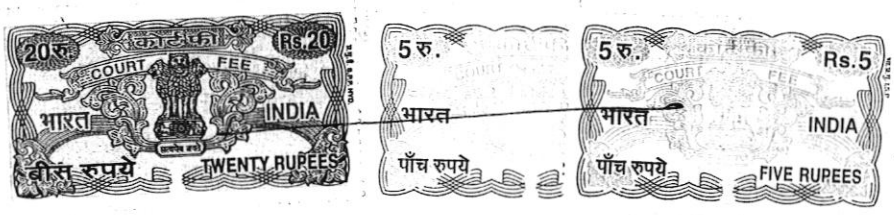

R 5530-II/16

01. दीपक सिंह तनय श्री दशरथ सिंह, उम्र 31 वर्ष, Rs 301
02. दिलीप सिंह तनय श्री दशरथ सिंह, उम्र 27 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कोटा, तहसील नागौद, जिला–सतना म.प्र...निगराकारगण

बनाम

मुस. छविराज कुमारी सिंह बेवा स्व. रणजीत सिंह, निवासी ग्राम कोटा, तहसील नागौद, जिला–सतना म.प्र...रेस्पाण्डेन्ट/गैरनिगराकार

अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह द्वारा प्रस्तुत। 15-12-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय नागौद के प्र.क्र.12अ6/2015–16 के आदेश दिनांक 17.10.2016 से व्यथित होकर

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :–

01. यह कि निगराकारगण उपरोक्त वर्णित पते के निवासी हैं तथा गैरनिगराकार (मृतक) निगराकारगण की दादी है, जिसके द्वारा अपने कब्जे दखल व हिस्से में प्राप्त आराजी का वसीयतनामा दिनांक 03.05.1997 को कराया गया है तथा गैरनिगराकार की मृत्यु दिनांक 01. 05.2012 को हो गई है।

02. यह कि निगराकारगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 म.प्र.का.मा. वास्ते वसीयतनामा दिनांक 03.05.1997 के आधार पर वसीयतशुदा भूमियों का नामान्तरण निगराकारगण के नाम पर किए जाने बावत् प्रस्तुत किया गया है।

03. यह कि निगराकारगण के द्वारा वसीयत पर प्राप्त सम्पत्ति ग्राम कोटा, पटवारी हल्का कोटा, तहसील नागौद, जिला–सतना म.प्र. स्थित आ.नं.–517/1 रकवा 0.073 हे. व आ.नं.–526/1 रकवा 0.345 हे. कुल किता 2 रकवा 0.418 हे. का वसीयत के आधार पर नामान्तरण की सहायता अधीनस्थ न्यायालय से चाही गई है।

04. यह कि निगराकारगण के द्वारा उक्त आशय का आवेदन पत्र रेस्पा. की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विचार किया जाकर सम्यक् कार्यवाही की जा रही है।

05. यह कि निगराकारगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया तथा निगराकारगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन पर व वसीयतकर्ता रेस्पा. द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 03.05.1997 में वसीयत साक्षियों के शपथ–पत्र माननीय न्यायालय पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर प्रतिपरीक्षण होना शेष है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षियों के उपस्थित न होने पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अमान्य कर अवसर समाप्त कर दिया गया है तथा उक्त प्रकरण को आपत्तिकर्ता की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिससे पीड़ित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमशः.........2

दीपक सिंह

दीपक सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक– निगरानी 5530–दो/16 जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नागौद के प्रकरण कमांक 12/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस्तहार का प्रकाशन कराया गया तथा प्रकरण प्रति परीक्षण हेतु, अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्यों के उपस्थित होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अमान्य कर अवसर प्राप्त कर दिया गया है जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक उपरोक्त वर्णित पते के निवासी है तथा अनावेदक मृतक आवेदक की दादी है जिसके द्वारा अपने कब्जे दखल व हिस्से में प्राप्त	

आराजी का बसीयत दिनांक 03.05.97 कराया गया तथा अनावेदक की मृत्यू दिनांक 01.05.12 को हो गई।आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक के द्वारा बसीयत पर प्राप्त संपत्ति ग्राम कोटा तहसील नागौर में स्थित आराजी क0 517/1 रकबा 0.073 है0 व आराजी न0 526/1 रकबा 0.345 है0 कुल किता 2 रकबा 0.418 है0 का बसीयत के आधार पर नामांतरण की सहायता विचारण न्यायालय से चाही गई है। बसीयतनामा के साक्षियों द्वारा प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है जिसमें उक्त प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है, साक्षियों को नियत पेशी पर उपस्थित न हो सकने से आवेदक की साक्ष्य को अमान्य किया जाना विधि के विपरीत है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 17.10.16 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक को साक्ष्य का अवसर पूर्व में कई बार दिया गया है लेकिन वह अपने साक्ष्य कराने में टालमटोल करता रहा तथा प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से पेशी की मांग करते रहे। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का साक्ष्य समाप्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश दिनांक 17.10.16 विधि प्रावधानों से उचित

होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार नागौद के प्रकरण कमांक 12/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य